# आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक सं0— ............................................................................ से ...............................................................

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 12/सन–2025– 26

केस का प्रकार – विविध वाद

| आदेश का क0 सं0 और तारिख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 14.05.2025 | –:आदेश: –<br><br>यह विविध वाद अभिलेख सं0– 12/2025– 26 आवेदक निरंजन राय, पिता– सूर्य नारायण राय, साकिन– पूरनाडीह, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 09, श्री नरेश कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है।<br><br>जॉच प्रतिवेदन अनुसार अचंल धनवार अन्तर्गत मौजा– डोरण्डा, थाना नं0– 15 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– XXIX, पृष्ठ सं0– 107 पर दशरथ पांडेय, पिता– रामेश्वर पांडेय के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी– II में उक्त जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रतिवेदन में भौतिक पंजी– II के अनुसार ऑनलाइन पंजी– II में उक्त जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है।<br><br>जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा– डोरण्डा/15 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– XXIX पृष्ठ सं0– 107 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाईन पंजी– II में जमाबंदी कायम करने के निमित आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।<br><br>जॉच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– डोरण्डा/15 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– XXIX पृष्ठ सं0– 107 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी– II में उक्त जमाबंदी को कायम करने का आदेश दिया जाता है।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br><br>14.05.25<br>अंचल अधिकारी,<br>धनवार।<br><br>14.05.25<br>अंचल अधिकारी,<br>धनवार। | |

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.05.14 13:11:54 +05:30
Location: 192.168.149.66